रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032024-253221
CG-DL-E-19032024-253221

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 19, 2024/फाल्गुन 29, 1945
No. 204]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 19, 2024/PHALGUNA 29, 1945

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च 2024

सा.का.नि. 218(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का-निर्माण (भारतीय रिज़र्व बैंक के 90 वर्ष मनाने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2024 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **सिक्के का मूल्यवर्ग.-** "भारतीय रिज़र्व बैंक" के 90 वर्ष मनाने के अवसर पर केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टकसाल में नब्बे रुपये मूल्यवर्ग का सिक्का ढाला जाएगा ।

3. **सिक्के की विमा और संरचना.-** नियम 2 में निर्दिष्ट उपरोक्त मूल्यवर्ग के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :-

सिक्के का मूल्यवर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदारों किनारे की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
नब्बे रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	**शुद्ध रजत** रजत- 99.9 प्रतिशत

4. **डिज़ाइन.-** सिक्के का डिज़ाइन इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

मानक वजन और अनुज्ञात उपचार.- भारतीय रिज़र्व बैंक के 90 वर्ष मनाने के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्यवर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची

(नियम 4 देखें)

नब्बे रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे **"सत्यमेव जयते"** लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में **"भारत"** शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में **"INDIA"** शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक **"₹"** और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य **"90"** भी होगा ।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग के मध्य में भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतीक चिन्ह होगा। सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में **"भारतीय रिज़र्व बैंक"** लिखा होगा। सिक्के की निचली परिधि पर अंग्रेजी में **"RESERVE BANK OF INDIA"** लिखा होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतीक चिन्ह के नीचे "RBI@90" लिखा होगा ।

दूसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		धातु संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
नब्बे रुपये	40 ग्राम	प्रति 1000 में रजत का 999 भाग। रजत अंश के लिए छूट 998.8 तथा उससे ऊपर होगी।	1/8000वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् वजन 39.995 ग्राम से 40.005 ग्राम के बीच हो सकता है।

[सं. 02/04/2024 –सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economics Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2024

G.S.R. 218(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of 90 Years Celebration of Reserve Bank of India) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Denomination of coin.- The coin of ninety rupees denomination shall only be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate on the occasion of 90 years Celebration of Reserve Bank of India**.**

3. Dimension and composition of coin. - The denomination of the coin mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Ninety Rupees	Circular 44 millimetre	200	Pure Silver Silver - 99.9 per cent

4. Design.- The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

5. Standard weight and remedy allowed.- The standard weight of the coin of denomination referred in rule 2 to commemorate the occasion of 90 years Celebration of Reserve Bank of India and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

THE FIRST SCHEDULE

[*See rule 4*]

NINETY RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend **"सत्यमेव जयते"** inscribed below, flanked on the left periphery with the word **"भारत"** in Devnagari script and on the right periphery with the word "**INDIA**" in English. It shall also bear the Rupee symbol "**₹**" and denominational value "**90**" in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of coin shall bear the logo of Reserve Bank of India in the centre of the coin. The inscription "**भारतीय रिज़र्व बैंक**"shall be written in Devnagari script on the upper periphery of the coin and the inscription **"RESERVE BANK OF INDIA"** in English shall be depicted on the lower periphery of the coin. "RBI@90" shall be written below the logo of the Reserve Bank of India.

THE SECOND SCHEDULE

[See rule 5]

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Ninety Rupees	40 Grams	999 parts of Silver per 1000. The tolerance for Silver content shall be 998.8 and above.	1/8000th plus or minus that is to say weight could be 39.995 grams to 40.005 grams.

[No. 02/04/2024 – Coin]

APARNA BHATIA, Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.19 18:59:13 +05'30'